9/12/20 वकील प्रार्थीगण के आवेदन पत्र पर पत्रावली सुगेस्त तलब की गई। वकील प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा उक्त प्रकरण को इसी स्टेज पर विड्रा कर खारिज कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र धारा-212 R.T.Act इसी स्टेज पर विड्रा कर खारिज किया जाता है। पत्रावली कैलाश चन्द्र लोक नम्बर से कम की जाये।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:29:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner